# *विदेशी मुद्रा गतिविधियां*

**जनवरी 2009**

## (i) भारत सरकार और पूर्ववर्ती यूएसएसआर के बीच 30 अप्रैल 1981 तथा 23 दिसंबर 1985 के आस्थगित भुगतान (राजकीय) व्यापार समझौते

23 दिसंबर,2008 से विशेष करेंसी बास्केट का रुपया मूल्य 67.0394 रुपये रुपये नियत किया गया है ।

(ए.पी.(डीआइआर सीरीज)परिपत्र सं. 45
02 जनवरी, 2009)

## (ii) बाह्य वाणिज्यिक उधार(ईसीबी) नीति उदारीकरण

ईसीबी के कुछ पहलुओं को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:-

(i) वर्तमान बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति के अनुसार, बाह्य वाणिज्यिक उधारों के लिए समग्र लागत सीमा स्वचलित और अनुमत दोनों मार्गों के संबंध में निम्नानुसार है :

| **औसत परिपक्वता अवधि** | **6 महीनों के लिबोर से ऊपर समग्र लागत सीमा*** |
|---|---|
| तीन वर्ष और पांच वर्षों तक | 300 आधार बिंदु |
| पांच वर्षों से अधिक | 500 आधार बिंदु |

* : उधार की संबंधित मुद्रा अथवा लागू बैंचमार्क के लिए

अब यह निर्णय लिया गया है कि 30 जून 2009 तक बाह्य वाणिज्यिक उधार पर समग्र-लागत सीमा की अपेक्षा को हटा दिया जाए । तदनुसार, उपर्युक्त निर्धारित समग्र-लागत अनुमत सीमा से ऊपर , बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने का प्रस्ताव देने वाले पात्र उधारकर्ता , अनुमत मार्ग के तहत रिज़र्व बैंक से संपर्क कर सकते हैं । जून 2009 में समग्र-लागत सीमा में दी गयी इस रियायत की समीक्षा की जाएगी ।

(ii) मई 2007 में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बाह्य वणिज्य उधार के अनुमत प्रयोजनपरक उपयोग के रूप में 'एकीकृत नगरीय विकास' के लिए दी गयी छूट समाप्त कर दी थी । अब यह निर्णय लिया गया है कि डीआइपीपी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 04 जनवरी 2002 को जारी प्रेस नोट 3(2002 सिरीज) में यथा परिभाषित एकीकृत नगरीय विकास में लगी कंपनियों को अनुमत मार्ग के तहत बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने के लिए अनुमति प्रदान की जाए । उपर्युक्त में यथा परिभाषित एकीकृत नगरीय विकास में आवास, वाणिज्यिक परिसरों, होटलों, रिसॉर्टों, शहरों और क्षेत्रीय स्तर की शहरी बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़कें, पुल, व्यापक द्रुतगामी यातायात प्रणाली तथा भवन-निर्माण सामग्री आदि शामिल हैं । भूमि विकास और सम्बध्द बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना नगर -रचना के विकास का महत्वपूर्ण भाग है । विकसित किया जानेवाला क्षेत्र कम से कम 100 एकड़ का होना चहिए और स्थानीय उप-नियमों /नियमों के अंतर्गत नियत मापदण्डों और मानकों का पालन किया जाना चहिए । ऐसे उप-नियमों/नियमों के न होने पर लगभग दस हजार जनसंख्या के लिए दो हजार आवास-इकाइयां विकसित करने की आवश्यकता होगी । इस नीति की 2009 में समीक्षा की जाएगी ।

(iii) वर्तमान बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति के अनुसार, गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को भारत में बुनियादी सुविधाओं से संबंधित परियोजनाओं को पट्टे पर देने के लिए बुनियादी उपकरणों के आयात के वित्त-पोषण के लिए पांच वर्षों की न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि के लिए बाह्य वणिज्यिक उधार लेने की अनुमति है ।अब यह निर्णय लिया गया है कि गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, जो केवल संरचना क्षेत्र के वित्त-पोषण में लगी हैं, को अनुमत-मार्ग के तहत संरचना क्षेत्र में उधारकर्ताओं को आगे उधार देने के लिए बहुपक्षीय / क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाओं और सरकार के नियंत्रणाधीन विकास वित्तीय संस्थाओं से बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने के लिए अनुमति दी जाए। आवेदनपत्रों पर विचार करते समय, भारतीय रिज़र्व बैंक इन उधारदाताओं की भारत के संरचना क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से समग्र प्रतिबध्दता पर विचार करेगा । उपर्युक्त उधारदाताओं का प्रत्यक्ष उधार पोर्टफोलियो गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उनके कुल बाह्य वाणिज्यिक उधार की तुलना में कभी भी 3:1 से कम नहीं होना चहिए । प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - 1 बैंकों को पात्र उधारकर्ताओं से इस आशय का प्रमाणपत्र लेना चहिए । जून 2009 में इस सुविधा की समीक्षा की जाएगी ।

(iv) मौजूदा समय में, सेवा क्षेत्र की संस्थाओं अर्थात् होटलों, अस्पतालों, और सॉफ्टवेयर क्षेत्र के अनुमत मार्ग के तहत पूंजीगत माल के आयात के लिए प्रति वित्तीय वर्ष 100 मिलियन अमरीकी डॉलर तक बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की अनुमति है । अब यह निर्णय लिया गया है कि होटलों, अस्पतालों, और सॉफ्टवेयर क्षेत्र की कंपनियों को अनुमत प्रयोजनमूलक उपयोग के लिए विदेशी मुद्रा और / अथवा रुपया पूंजी व्यय हेतु स्व-चलित मार्ग के तहत प्रति वित्तीय वर्ष 100 मिलियन अमरीकी डॉलर तक बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की अनुमति दी जाए। भूमि अधिग्रहण के लिए,बाह्य वाणिज्यिक उधार की आय का उपयोग नहीं किया जाना चहिए।

(v) बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति के सभी अन्य पहलू , जैसे स्वचलित मार्ग के तहत प्रति वित्तीय वर्ष प्रति कंपनी 500 मिलियन अमरीकी डॉलर की सीमा, पात्र

उधारकर्ता, मान्यताप्राप्त उधारदाता, अंतिम उपयोग, समग्र लागत सीमा, औसत परिपक्वता अवधि, पूर्वभुगतान, वर्तमान बाह्य वाणिज्यिक उधार का पुन:र्वित्तीयन और रिपोर्टिंग व्यवस्था, यथावत् रहेंगे।

(एपी (डीआइआर सीरीज़)परिपत्र सं.46
2 जनवरी 2009)

### (iii) एक्जिम बैंक की घाना सरकार को 25 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण व्यवस्था

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) ने घाना सरकार के साथ 02 सितंबर 2008 को घाना में तीन परियोजनाओं अर्थात् (i) आइसीटी और उत्तम अभिशासन परियोजना (5 मिलियन अमरीकी डॉलर), (ii)रेलवे कोरिडोर्स परियोजना (13 मिलियन अमरीकी डॉलर), और (iii) कृषि प्रसंस्करण संयंत्र (7 मिलियन अमरीकी डॉलर) के लिए परामर्शदात्री सेवाओं सहित भारत से पात्र वस्तुओं तथा सेवाओं के वित्त-पोषण के लिए 25 मिलियन अमरीकी डॉलर (पच्चीस मिलियन अमरीकी डॉलर) की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक करार किया है ।

(एपी (डीआइआर सीरीज़)परिपत्र सं.47
06 जनवरी 2009)

### (iv) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) की सेनेगल गणराज्य सरकार को 25 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण व्यवस्था

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) ने सेनेगल गणराज्य के साथ सेनेगल गणराज्य में (i) ग्राम्य विद्युतीकरण परियोजना(15 मिलियन अमरीकी डॉलर) और (ii) मत्स्य उद्योग विकास परियोजना (10 मिलियन अमरीकी डॉलर) के लिए परामर्शदात्री सेवाओं सहित भारत से पात्र वस्तुओं तथा सेवाओं के वित्तपोषण के लिए 25 मिलियन अमरीकी डॉलर (पच्चीस मिलियन अमरीकी डॉलर) की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए 19 सितंबर 2008 को एक करार किया है ।

(एपी (डीआइआर सीरीज़)परिपत्र सं.48
28 जनवरी 2009)

### (v) एक्जिम बैंक की सेंट्रल अफ्रीकी गणराज्य को 29.50 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण व्यवस्था

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) ने सेंट्रल अफ्रीकी गणराज्य के साथ सेंट्रल अफ्रीकी गणराज्य में (i) 400 टीपीडी क्षमता वाला आधुनिक शुष्क प्रोसेस सीमेंट संयंत्र लगाने तथा (ii) सेंट्रल अफ्रीकी गणराज्य में आंतरिक परिवहन हेतु 100 बसें लेने के लिए परामर्शदात्री सेवाओं सहित भारत से पात्र वस्तुओं तथा सेवाओं के वित्तपोषण हेतु 29.50 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए 23 अक्तूबर 2008 को एक करार किया है ।

(एपी (डीआइआर सीरीज़)परिपत्र सं.49
29 जनवरी 2009)